

## कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता—किशोरपुरा कोटा—09 (राज0), ईमेल:—ccffdp.kota@gmail.com दरभाष:— 0744—2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2022/ ७५१४ दिनांक : २७/१२/२२  
निमित्त,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए  
राजस्थान जयपुर।


विषय: कोटा से धरनावदा रोड (Proposal No. RP/RJ/ROAD/6979/2014) वनभूमि के प्रत्यावर्तन को प्रत्याहारित (withdrawl) करने के संबंध में

सन्दर्भ: आपका पत्रांक एफ14( )2015/एफसीए/प्र.मु.व.स./1686 दिनांक 12.05.2022 के क्रम में महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से चाही गयी सूचना के क्रम में उप वन संरक्षक बारां पत्रांक एफ ( ) एफ.सी.ए/उ.व.सं./2022—23/12260 दिनांक 20.12.2022 से अवगत कराया है कि आलौच्च प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है। प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं प्रयोक्ता अभिकरण के अधिकारियों के साथ दिनांक 16.12.2022 को संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया जिसका मौका पंचनामा तथा उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम मय पद रिपोर्ट तैयार कर कार्यालय में प्रेषित है। जिसकी छायाप्रतियां अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(महेश चन्द्र गुप्ता)  
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
कोटा

# कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

क्रमांक ० एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.सं./2022-23 १२२६० दिनांक २०/१२/२२  
निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,  
कोटा।

F.C.A  
राजस्थान  
वन संरक्षक का.वि.पर्स  
प्रक्रिया अनुदान सं.  
प्रक्रिया अनुदान सं.  
प्रक्रिया अनुदान सं.

विषय :- कोटा से धरनावदा सड़क १३.५५८ है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन Proposal FP/RJ/ROAD/ ROAD/6979/2014 को प्रत्याहारित (Withdrawn) करने के संबंध में।

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज० जयपुर के पत्र क्रमांक १६८६ दिनांक १२.०५.२०२२ के क्रम में एवं आपके पत्र क्रमांक ४७८४ दिनांक २८.०७.२२, पत्र क्रमांक ६४१४ दिनांक २०.१०.२०२२ के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि उक्त प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम १९८० का उल्लंघन किया गया है। उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारीयों/कर्मचारीयों के नाम व पद की रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्रम सं	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पद स्थापन
1.	श्री नेत्रपाल सिंह	क्षेत्रीय वन अधिकारी, छबड़ा	सेवानिवृत्
2.	श्री रामेश्वर मेघवाल	वनपाल	सेवानिवृत्
3.	श्री गोविन्द बिहारी सोनी	वनरक्षक	सेवानिवृत्

प्रयोक्ता अभिकरण के दोषी अधिकारीयों व कर्मचारीयों के नाम व पद की रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्रम सं	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	वर्तमान पद स्थापन
1.	श्री जी.एल राव	विभागाध्यक्ष	सेवानिवृत्
2.	श्री पी.के जैन	अधिक्षण अभियन्ता	सेवानिवृत्
3.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता (अतिरिक्त चार्ज)	सेवानिवृत्
4.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	सहायक अभियन्ता उप खण्ड छबड़ा	सेवानिवृत्

उक्त प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी छबड़ा एवं प्रयोक्ता अभिकरण के अधिकारीयों के साथ संयुक्त मौका निरीक्षण दिनांक १६.१२.२२ को किया गया जिसकी मौका पंचनामा रिपोर्ट संलग्न है प्रकरण में स्टेट हाईकोर्ट के ४ कि.मी लम्बाई में ५-५ मी दोनों तरफ कुल ४ है० सड़क चौड़ाई करण का कार्य वन क्षेत्र में पूर्व में ही किया जा चुका है।

जिसमें FIR.NO 7-82 दिनांक 27.09.2013 से दर्ज किया जाकर 62000/- रु जुर्माना वसूल कर अपराध शमन किया गया था।

प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है।  
संलग्न—: उक्तानुसार

(दीपक कुमार गुप्ता)  
उप वन संरक्षक  
बारां

क्रमांक ० एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2021-22/ दिनांक  
प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
1.अतिप्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए राज० जयपुर।  
2.अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड छबड़ा।

(दीपक कुमार गुप्ता)  
उप वन संरक्षक  
बारां

मौका पंचनामा

मौका पंचनामा युआ मुकेश कुमार सुपर छोटीय लन अधिकारी  
छुच्चा द्वारा आज दिनांक 16.12.2022 को गम्भ 12:15 PM  
पर 132/500 नं.। घरनावदा ग्री. नं. राइक 132/500 से

132/750 पर गिरने के बागान

- (१) श्री चित्ताम नायर सहायक अभियन्ता छुच्चा
- (२) श्री रविंद्र कुमार मीणा कमिष्ट सहायक
- (३) श्री राजा शत्रुघ्न वरभक्त नाका पाली
- (४) श्री विभृषण चौधरी वरभक्त नाका छुच्चा

बागान उप लन रास्ताक बारां के पत्रांक सफ ( ) सफ. सी. ए /  
उप लन 132/750 पर 10884 दिनांक 24.10.2022 की पालना  
में आज दिनांक 16.12.2022 को छोटा घरनावदा राइक 132/  
500 से 132/500 का प्रमोक्ता अभिकरण (P.W.D.) के  
आदिकरणी के साथ संस्करण मौका निरीक्षण किया। इनके  
अनुराग वस्त्रियके खे साइक ची चौडाई + (मात्र) मीटर है।  
इससे युर्की की चौडाई प्रमोक्ता अभिकरण को ज्ञात नहीं है।  
उक्त सड़क संस्करण वनखण्ड आंचली व चुड़ा में होकर  
शुजर रही है। प्रमोक्ता अभिकरण के अनुसार मड़क के  
चौड़ीकरण व मी. मी. का कार्य वर्ष 2013 में किया गया  
था। मड़क की 132/500 की G.P.S 24.678925 N, 76.88 91  
33E तथा 132/750 की G.P.S. 24.658620 N, 76.92 6890 E है।

इस उपजर मड़क की 132/500 से 132/750 तक की तुला  
लगाई 5250 मीटर है। लैकिन दोनों वनखण्डों के बीच  
500 मीटर लगाई में उक्त मड़क वनखण्ड में नहीं शुजरती  
है। बाकि दोनों विनुभी के मध्य 500 मीटर लगाई में  
वनखण्डों के शुजर रही हैं। मौका पर्वी भाँड़ पर कायम  
कर उपरिक्त पंचान को पक्षा/ खुग छर तथा उपर कराये।

मौका पंचनामा  
16.12.2022

उप वन संरक्षक  
16.12.22

R.O 16.12.22

(दीपक कुमार गुप्ता)  
उप वन संरक्षक  
बाठौ